न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 59 / 2018
RCMS No. 2018/00389

प्रार्थी :–

मृतक केसाराम पुत्र कूपाराम जाति मीणा निवासी बांकली के का0मु0
1. हंजादेवी पत्नी केसाराम
2. पारस कुमार पुत्र केसाराम
3. मुकेश पुत्र केसाराम
4. खीमाराम पुत्र केसाराम के का0मु0

4.1 किशनलाल पुत्र खीमाराम जातिगण मीणा निवासीगण बांकली तहसील सुमेरपुर जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीः–

1. मोनाराम पुत्र कूपाराम जाति मीना निवासी तलेटा तहसील शिवगंज जिला सिरोही
2. दीनदयाल पुत्र प्रहलादराम जाति मीणा निवासी बांकली तहसील सुमेरपुर
3. तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली
4. श्री क्षत्रिय धॉची समाज सद्गुरू धाम ट्रस्ट, तखतगढ़ रोड़, बांकली तहसील सुमेरपुर जरिये अध्यक्ष छगनलाल बोराणा पुत्र कपूरजी जाति घांची निवासी हनुमानजी की गली, बांकली, तहसील सुमेरपुर

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4

–:: आदेश ::–

दिनांक : 24-9-18

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक / राजस्व / संपरिवर्तन / 2018 / 1196 दिनांक 18.08.2018 की पालना एवं प्रभाव को मूल अपील के निस्तारण तक स्थगित कराने एवं अप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

श्री क्षत्रिय घांची समाज सद्गुरू धाम ट्रस्ट, तखतगढ़ रोड़, बांकली तहसील सुमेरपुर जरिये अध्यक्ष छगनलाल बोराणा पुत्र कपूरजी जाति घांची निवासी हनुमानजी की गली, बांकली, तहसील सुमेरपुर की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर प्रकरण में बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार संयोजित कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

वकील अपीलाण्ट को प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर श्री क्षत्रिय घांची समाज सद्गुरू धाम ट्रस्ट, तखतगढ़ रोड़, बांकली तहसील सुमेरपुर को बतौर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 पक्षकार संयोजित गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम बांकली तहसील सुमेरपुर के पुराने खसरा नम्बर 252 रकबा 8 बीघा भूमि अपीलाण्ट के पति/पिता केसाराम को आवंटन हुई थी। उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 448 बने, जबकि राजस्व अधिकारियों द्वारा नवीन खसरा नम्बर 449 रकबा 1.34 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट के पति/पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी। उक्त त्रुटी की जानकारी होने पर केसाराम द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बाली के समक्ष खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें खसरा नम्बर 448 रकबा 2.42 हैक्टेयर में से 1.34 हैक्टेयर भूमि का केसाराम को खातेदार घोषित किया गया। उक्त आदेश की राजस्व अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार से पालना नहीं की गई, जबकि अपीलाण्ट आज भी खसरा नम्बर 448 में से 1.34 हैक्टेयर भूमि पर काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 448 की खातेदार लच्छी द्वारा उक्त गलत प्रविष्ठि का नाजायज लाभ प्राप्त करने की मंशा से उक्त भूमि में से 0.40 हैक्टेयर भूमि प्रकाश कुमार को तथा 0.40 हैक्टेयर भूमि मगाराम को बेचान किया। मगाराम द्वारा उक्त क्रयसुदा आराजी में से 0.20 हेक्टेयर भूमि समाराम पुत्र हटाराम को विक्रय की गई, जिसे समाराम द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विक्रय किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा दिया। इसके अतिरिक्त जिस दिनांक को संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया है, उस दिन राजकीय अवकाश था एवं पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण भी हो चुका था। इस कारण उन्हे जैर अपील आदेश पारित करने का अधिकार ही नहीं था। चूंकि उक्त विवादित आराजी अपीलाण्ट के पति/पिता की खातेदारी भूमि है, जो मात्र राजस्व रेकर्ड में त्रुटी के कारण सिलसिलेवार हस्तान्तरण होते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। इससे पूर्व ही इस भूमि का सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के पति/पिता को खातेदार भी घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार जैर अपील विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जैर अपील आदेश की पालना में अपीलाण्ट को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है एवं साथ ही भूमि के भौतिक स्वरूप में भी परिवर्तन करने पर आमादा है, जिन्हे नहीं रोका गया, तो अपीलाण्ट के अपील प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। अतः अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित करावें एवं रेस्पोडेन्ट्स को जरिये व्यादेश के पाबन्द किया जावे कि रेस्पोडेन्ट मूल अपील के निस्तारण तक विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

की भौतिक प्रस्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि थी, जिसका उन्हे संपरिवर्तन कराने का पूर्ण अधिकार है। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जैर अपील विवादित आराजी का संपरिवर्तन करवाया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटी नहीं है। जहां तक विवादित आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में विचाराधीन वाद एवं डिक्री का प्रश्न है, तो उक्त डिक्री की यदि पालना नहीं हुई थी, तो अपीलाण्ट को इजराय की कार्यवाही की जानी थी, जो अपीलाण्ट द्वारा नहीं की गई। इसके अतिरिक्त भी यदि अपीलाण्ट के हिस्से की भूमि लच्छीदेवी की खातेदारी भूमि में समाहित होती है, तो वे लच्छीदेवी की शेष भूमि में से अपने हिस्से की भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। जैर अपील विवादित आराजी संपरिवर्तन हो चुकी है तथा उसके पश्चात विक्रय भी हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व रेकर्ड एवं दस्तावेजात् की पूर्ण जांच की है। अपीलाण्ट के पक्ष में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज़ करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में जाहिर किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/92 केसाराम बनाम लच्छी में जो डिक्री पारित की है, उसमें खसरा नम्बर 448 रकबा 2.42 हैक्टेयर में से पश्चिमी दिशा की 1.34 हैक्टेयर भूमि का केसाराम को खातेदार घोषित किया है तथा जिस भूमि का बेचान हस्तान्तरण किया जाकर भूमि का रूपान्तरण किया गया है, वह खसरा नम्बर 448 की पश्चिमी दिशा की भूमि होने के कारण अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। यदि रेस्पोडेन्ट्स को नहीं रोका गया, तो अपीलाण्ट अपने जायज हक हकूकों से महरूम होंगे एवं उनके अपील प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। अतः रेस्पोडेन्ट को जरिये व्यादेश के पाबन्द करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड की प्रस्थिति में हुए परिवर्तन, वाद आदि का इस प्रकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है एवं क्या जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी/हिस्से की भूमि वहीं है, जो राजस्व वाद संख्या 20/92 में पारित डिक्री अनुसार केसाराम की खातेदारी घोषित की गई थी ? उक्त समस्त तथ्य जैर अपील आदेश को किस रूप में प्रभावित करते है ? इन समस्त तथ्यों का अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के परीक्षण एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की विस्तृत बहस एवं प्रावधानों पर मनन करने के पश्चात ही निर्धारण किया जाना संभव होगा, किन्तु यदि इस दरम्यान जैर अपील विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की भौतिक स्थिति में परिवर्तन होता है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी, जिसे रोका जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम बांकली तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 448/4 रकबा 0.20 हैक्टेयर की भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की भौतिक प्रस्थिति में मूल अपील के निर्णय तक किसी प्रकार का परिवर्तन न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें तथा विवादित आराजी का बेचान हस्तान्तरण नहीं करें। तद्नुरूप उभयपक्ष को पालना हेतु उनके अधिवक्ता को हिदायत दी गई। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद पालना नम्बर से कम होकर मूल अपील के नत्थी हो।

आदेश आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,पाली
जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
पाली (राजस्थान)